3

संख्या-435/9-9-18- 111ज/13

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत दोहरीघाट जनपद- मऊ/
नगर पंचायत ककोड़ जनपद-बुलन्दशहर।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 09 अप्रैल, 2018

विषय-- नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 ब्याज रहित ऋण के रूप में वित्तीय वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 में स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाने जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय कमशः अपने पत्रांक पत्रांक--64/न0पं0दो0-- मऊ /2017--18, दिनांक 19.03.2018, सं01683 /न0पं0 ककोड़/ 2017-18 दिनांक 26.02.2018, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-2016 में प्रदेश की विभिन्न नागर निकायों को उनकी मांग पर विकास कार्य हेतु नया सवेरा नगर विकास योजना अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसके सम्बन्ध में निम्न निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ायें जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

	जनपद का नाम	निकाय का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	मऊ	न0पं0दोहरीघाट	संख्या-105/2015/आर0एफ0-1059/नौ-09-15-11 0आर0एफ/ 15, दिनांक 02.12.2015	38.38
2	बुलन्दशहर	न0पं0 ककोड़	आरएफ-257/नौ-09-15-30 आर0एफ0/15, दिनांक-- 25.03.2015	97.97

3. उपरोक्तानुसार कालम-03 में उल्लिखित नागर निकायों को नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक-30.05.2018 तक इस शर्त के साथ अन्तिम रूप से बढ़ायी जाती है कि उक्त तिथि के पश्चात पुनः अवधि नहीं बढाई जायेगी। उक्त निकायों द्वारा प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग

S.k.Go's

करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में उक्त अवधि से आगे उपयोगिता अवधि नहीं बढायी जायेगी।

4 सम्बन्धित निकायों द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाय, तथा यथाशीघ्र स्वीकृत कार्यो को पूर्ण कराकर निर्धारित समयावधि के अन्दर धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-30.05.2018 तक निर्धारित प्रपत्र पर कार्यालय महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- कोषाधिकारी, मऊ/ बुलन्दशहर।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
7- गार्ड फाइल/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

S.k.Go's